

Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत - उपखण्ड अधिकारी लूनकरणसर
भागूराम बनाम सरकार

किस्म मुकदमा:- धारा अन्तर्गत 88,आरटीएक्ट, 136 एलआरएक्ट

नं. मुकदमा.114/21 / 2021

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
11.10.2021	यह वाद पत्र वादीगण की ओर से वकील श्री रामकरण मूण्ड द्वारा पेश किया गया। सरिस्ते से रिपोर्ट बाद प्राप्त हुआ। वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया जावे। पत्रावली वास्ते तलबी आईन्दा दिनांक 24.11.2021 को पेश हो। <i>इकाई 3</i>	
24/11/21	उपखण्ड/उपखण्ड के अधिवक्ता उपस्थित। प्रकरण को जेक अदालत में रैफर करने हेतु दोनों पक्ष सहमत अतः प्रकरण लोक अदालत में रैफर किया जाता। पत्रावली नं. 1 पर दिनांक 17/11/21 को पेश हो। <i>इकाई 3</i>	
17/12/21	पत्रावली राजस्व लोक अदालत में पेश हुई। पत्रावली नं. 2 पर दिनांक 17/12/21 को पेश हो। अतः पत्रावली संश्लेषित न्यायालय में आईन्दा दिनांक 21/12/21 को पेश हो। <i>इकाई 3</i>	
21/12/21	पत्रावली पेश हुई। बी.अ. अवरकाम / अन्य कार्यों में व्यस्त आयेन्दा पत्रावली दिनांक 19/12/21 को पेश हो। <i>रीलर</i>	
19/12/21	पत्रावली पेश हुई। बी.अ. अवरकाम / अन्य कार्यों में व्यस्त आयेन्दा पत्रावली दिनांक 14/12/21 को पेश हो। <i>रीलर</i>	
14/12/21	पत्रावली पेश हुई। बी.अ. अवरकाम / अन्य कार्यों में व्यस्त आयेन्दा पत्रावली दिनांक 10/12/21 को पेश हो। <i>रीलर</i>	
20/12/21	पत्रावली पेश हुई। अकाउंटे लगवानी गरी। वाद वाद आकाउंटे लगवानी जाने के बाद पक्ष पक्षक 24 लिख गरी। जितने पक्ष जतीत होता है की पक्षक की क्वि वाद पत्र से गरी है। अतः वाद-पत्र इसी एटेन चट आरम हाजरी एवं आरम पत्रकी से रकारिज किया जाता है। पत्रावली सिविल से अफाल होकर एडवोकेट सखित रफाल हो। <i>ली</i>	

496
29/12/21



उपखण्ड अधिकारी
लूनकरणसर